मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 10-62/2016/तैंतीस भोपाल, दिनांक 10/10/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,
भोपाल।

विषय:- पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 6 में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं हेतु पूंजीगत अनुदान पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 05/08/2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 07 के परिपालन में पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 6 के पूंजीगत अनुदान पात्रता के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रसारित किया जाता है :-

1. कंडिका 6.5 में अन्य शर्तो के कालम में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-
   निवेशक केवल रिसोर्ट अथवा वेलनेस सेन्टर में से कोई एक अथवा दोनों के निर्माण पर अनुदान क्लेम कर सकता है। बशर्ते वह न्यूनतम परियोजना व्यय एवं विभाग द्वारा जारी गतिविधि परिभाषा में उल्लेखित मापदण्डों की पूर्ति करता हो ।
2. कंडिका 6.11 में अन्य शर्तो के कालम में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-
   निवेशको द्वारा आन्तरिक विद्युत/जल/ सड़क/ सीवेज आदि पर किया गया व्यय इस मद में सम्मिलित नहीं होगा। परंतु आवंटित भूमि पर बाहर से विद्युत/जल/पहुंच मार्ग/सीवेज/जल मल निकासी अधोसंरचना पर किया गया व्यय मूल प्रयोजन से पृथक माना जाकर उस पर न्यूनतम व्यय सीमा के अध्यधीन पृथक से पूंजीगत अनुदान देय होगा ।
3. कंडिका 6.12 में अन्य शर्तो के कालम में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-
   यदि निवेशक द्वारा एक ही भूमि परिसर मे पृथक-पृथक पर्यटन परियोजना जो कि विभाग द्वारा अधिसूचित की गयी है, निर्मित करता है तो उसे न्यूनतम व्यय की सीमा के अध्यधीन तथा विभाग द्वारा जारी गतिविधि परिभाषा में वर्णित मापदण्डों के अनुसार परियोजनाओं की स्थापना करने पर प्रत्येक परियोजना पर पृथक-पृथक पूंजीगत अनुदान देय होगा बशर्ते प्रत्येक परियोजना पृथक-पृथक स्थापित की गयी हो ।

DIR (AKR)

11 OCT 2017

JD (SJ)
23/x/17

(पदमरेखा दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

Scanned by CamScanner